



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 81 -अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013

दिनांक: 30 नवम्बर, 2013

### कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (जानपद) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आवंटित/तैनात किया जाता है:-

| क0 सं0 | नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक | अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान       | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (जानपद) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती स्थल                           |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                               | 3                                                                | 4                                                                                                  |
| 1.     | श्री आशीष माथुर<br>7920/मेरठ<br>30.06.2016      | अधीक्षण अभियन्ता (जानपद),<br>विद्युत जानपद वितरण मण्डल,<br>मेरठ। | मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (जानपद)<br>(वितरण क्षेत्र), पूर्वान्वल विद्युत वितरण<br>निगम लि0, वाराणसी। |

- 2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 3- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- 5- उपरोक्त आदेश दिनांक 01-12-2013 (पूर्वान्ह) अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

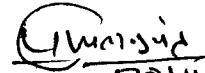
### प्रबन्ध निदेशक

**संख्या: 81 (1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल/मध्यान्वल/पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0 ट्रांसमिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

  
 (प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)  
 30/11/2013  
 उप सचिव